हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम, जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
12/4/25 वकील पक्षकारान हाजिर। श्रीमान एसडीएम साहब अवकाश/चुनाव/अन्य प्रशासनिक कार्य में व्यस्त है, पत्रावली दिनांक 30/7/25 को पेश हो।	
आदेश वकालत करीके बाबी वगैरा जब्त प्रकरण मौके पर आना चाहिये पत्रावली अग्रिम जवाब दि. 25/7/25 को पेश हो।	
आदेश व श्रवण करीके बाबी। वकील जालौर ने जब्ती 22(2) बधाव जा CPC व जब्ती अवाईबाद 5 दिवाद आदिनियम [illegible] प्रकरण का निर्देश किया के बारिना। जालौर वकील कोर्ट की मृत्यु दि. 6/5/25 को हो चुकी है। जिसकी जानकारी दि. 20/5/25 को प्राप्त हुई उस वक्त के चालान की रिकॉर्ड पर लिया गया। चालान अभी तक पेश पर है। न्याय हित में उक्त जब्ती को सीमा किया जाना जालौर प्रकरण के चालान रिकॉर्ड पर लेने की उचित होगा ही। वकील जालौर मय चालान को लिखे जाना चाहिये है। अतः अधीनस्थ के अधिवक्ता की सहमति से जब्ती लिखे किया जाना है। जब्ती मौसुदा रेकर्ड पर स्थ बने के दि. 6/11/25 को भारी चालान अग्रिम कोर्ट किया जावे। पत्रावली पेशते मुकाम बेला जीवित रखा जावे। आदेश सुनाया	

प्रार्थी [illegible] लिखे [illegible]

Signature Not Verified

Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2025.10.15 10:32:04 IST
Reason: SelfAttested